# आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा

## सेवा अपीलवाद संख्या–228/2022

कृष्ण नाथ सिंह

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

## आदेश

01.07.2024

प्रस्तुत सेवा अपीलवाद, माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C No.20396/2018, में दिनांक 29.11.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर दायर किया गया है,

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नांकित है;

*".....learned senior Counsel appearing for the petitioner, after some arguments, being faced with the objection regarding non-exhaustion of alternative remedy, submits that the petitioner would avail the alternative remedy.*

*With liberty as aforesaid, the writ petition is disposed of."*

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय वस्तु यह है कि अपीलकर्त्ता, श्री कृष्ण नाथ सिंह, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, भगवानपुर हाट, जिला–सिवान को परिवादी श्री राजकिशोर राम से 5000/– (पाँच हजार) रूपये रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरों, पटना के गठित धावादल द्वारा दिनांक 02.02.2016 को गिरफ्तार किया गया। अपीलकर्त्ता को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में कारागार भेजा गया। उक्त के आलोक में आदेश ज्ञापांक–30मु0/रा0, दिनांक 15.02.2016 द्वारा **बिहार राज्य सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005** के सुसंगत प्रावधानों के तहत् अपीलकर्त्ता को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए प्रपत्र–'क' गठित कर मांग की गयी। जिसके आलोक में अंचलाधिकारी, भगवानपुर हाट के पत्रांक–125, दिनांक 26.07.2016 द्वारा प्रपत्र–'क' का गठन कर उपलब्ध कराया गया। इस क्रम में आदेश ज्ञापांक–2447/रा0, दिनांक 09.08.2016 द्वारा अपीलकर्त्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, महाराजगंज को संचालन पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी, भगवानपुर हाट को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, महाराजगंज–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही का संचालन करते हुए पत्रांक–05 मु0, दिनांक 28.04.2017 के माध्यम से जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें अपीलकर्त्ता के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन एवं अपीलकर्त्ता से प्राप्त द्वितीय कारण-पृच्छा के अवलोकन में आरोपी कर्मी के विरूद्ध आरोपो को प्रमाणित पाए जाने के आधार पर समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, सिवान के आदेश ज्ञापांक 498/रा0, दिनांक 01.02.2018 द्वारा अपीलकर्त्ता को सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायाल के समक्ष C.W.J.C No.20396/2018, दायर किया गया जिसमें दिनांक 29.11.2022 को पारित आदेश के आलोक में वाद की सुनवाई इस स्तर पर की गयी है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता-उपस्थित। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

3. अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध दण्डादेश पारित करते समय **बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005** के सुसंगत प्रावधानो का समुचित अनुपालन नहीं किया गया है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध लगाए गए आरोपो को किन तथ्यों के आधार पर प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है, यह स्पष्ट नही किया गया है और न ही साक्षियों की सूची उपलब्ध करायी गयी है। इस क्रम में अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि अपीलकर्त्ता को अपना पक्ष रखने हेतु आवश्यक कागजात एवं पर्याप्त अवसर नही दिया गया है। जिसके कारण विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया दूषित हो जाती है।

उपर्युक्त कथनों के आधार पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, सिवान के प्रश्नगत आदेश को निरस्त किया जाय तथा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

4. विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा अपीलकर्त्ता के तर्को का खंडन किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध कुल 07 आरोप प्रतिवेदित है। विभागीय कार्यवाही के क्रम में अपीलकर्त्ता द्वारा प्रायः सभी आरोपों का खंडन करते हुए अपना पक्ष रखा गया है। अपीलकर्त्ता के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोपो को साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित पाए जाने का उल्लेख अभिलेख पर उपलब्ध है। संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए जॉच प्रतिवेदन में अपीलकर्त्ता पर आरोपो को प्रमाणित पाए जाने के क्रम में उन्हे अपना पक्ष रखते रखने हेतु द्वितीय स्पष्टीकरण मांगे जाने का साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है। अपीलकर्त्ता को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद अपीलकर्त्ता अपने पक्ष के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है।

उक्त के आधार पर विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, सिवान द्वारा अपीलकर्त्ता के विरूद्ध आरोपो को प्रमाणित

पाए जाने के आधार पर उनके विरूद्ध दण्डादेश पारित किया गया है, जिसे यथावत रखा जा सकता है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात एवं निम्न न्यायालीय आदेश के अवलोकन में यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोपो को साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित पाया गया है। सुनवाई के क्रम में अपीलकर्त्ता द्वारा अपना पक्ष भी रखा गया है तथा दण्डादेश पारित करने के पूर्व अपीलकर्त्ता को द्वितीय कारण-पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने का साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है।

उपर्युक्त वर्णित कारणो से समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, सिवान के ज्ञापांक 498/रा0 दिनांक 01.02.2018 द्वारा पारित आदेश को त्रुटिरहित पाते हुए उसे यथावत रखा जाता है।

तदनुसार, प्रस्तुत अपीलवाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।